



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-1335/JH/32/2023-ESDW

दिनांक: 03.03.2023

सेवा में,

सुश्री लाली कच्छप,
पति- स्व. अजय कच्छप,
न्यू तारा बाबू लेन,
थड़पखना, पो.- मुख्य डाकघर,
थाना- लोअर बाजार,
जिला- रांची (झारखंड)


विषय: खतियानी आदिवासी जमीन पर गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति मदन साव व अन्य के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में, सुश्री लाली कच्छप, पति- स्व. अजय कच्छप, न्यू तारा बाबू लेन, थड़पखना, पो.- मुख्य डाकघर, थाना- लोअर बाजार, जिला- रांची (झारखंड) का दिनांक 29.01.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 14.03.2023 को 03:30 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी